

यूनियन बजट 2018-19: एक मूल्यांकन*

यह आलेख केन्द्रीय बजट 2018-19 की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करता है जो कि 01 फरवरी 2018 को प्रस्तुत किया गया और मार्च 2018 में संसद द्वारा पारित किया गया। सुधारों-वस्तु एवं सेवा कर; डिजिटाइज़ेशन; विमुद्रीकरण; दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)- द्वारा प्रदान की गई प्रबलता के आधार पर और 2017-18 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था के निष्पादन में आए प्रतिवर्तन से केन्द्रीय बजट 2018-19 चुनाव-पूर्व वर्ष में राजनीतिक बाध्यताओं के साथ ही विवेक-पूर्णता के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास करता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि, सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा), वरिष्ठ नागरिकों, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं वित्तीय क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। इन क्षेत्रों में बढ़े हुए आवंटनों का वित्त-पोषण प्रत्यक्ष-कर संग्रह में वृद्धि और विनिवेश कार्य में निरंतरता के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह बजट पूर्ववर्ती राजकोषीय समेकन पथ से विचलित हो गया है और इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 2020-21 तक जीडीपी के 3 प्रतिशत तक प्राप्त करने का हो गया है।

केन्द्रीय बजट 2018-19 के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र

- उत्पादन से विपणन तक कृषि में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना : लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य; कृषि बाजारों और तारतम्यता; बागबानी, जैव-कृषि; खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात।
- ग्रामीण कल्याण में वृद्धि : मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना); बिजली (प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना); स्वच्छता (प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन); आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना) और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाना।

* भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग में श्रीमती संगीता मिश्रा के समय मार्गदर्शन के तहत श्रीमती कौशिकी सिंह और श्री के. मते, अनुसंधान अधिकारियों द्वारा बनाया गया। इसमें प्रस्तुत विचार लेखकों के हैं और उस संस्था के नहीं हैं जिससे वे संबंधित हैं। सामान्य अस्वीकरण लागू हैं। केन्द्रीय बजट 2017-18 के संबंध में पिछला आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के मई 2017 बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था।

- शिक्षा- प्रौद्योगिकी का सहारा लेना और अनुसंधान तथा संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना; स्वास्थ्य-सेहत केन्द्र; और सामाजिक सुरक्षा- सुविधाहीन परिवारों के लिए स्वास्थ्य एवं अन्य बीमा।
- मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करना- तुलन पत्र में मौजूद दबावों और वित्तीय रुकावटों का सामना करना और रोजगार- औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करना; सभी क्षेत्रों के लिए नियत अवधि रोजगार; कौशल विकास (प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र कार्यक्रम)।
- रक्षा क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, शहरीकरण (स्मार्ट शहर मिशन; एएमआरयूटी अथवा अमृत); पर्यटन; सड़क; रेलवे, हवाई अड्डे; पत्तन विकास और आंतरिक नौवहन।
- वित्त : कारपोरेट बांड बाजार का विकास; वित्तीय लेनदेनों के लिए स्टांप शुल्क प्रथा में सुधार करना; दीर्घावधि पूंजी लाभ कर; बैंकों का पुनः पूंजीकरण; विदेशी निवेशों के लिए संकर (हाइब्रिड) लिखतें; भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थाई जमा सुविधा प्रारंभ करने के साथ ही मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत बनाना।

बजट में निहित प्रमुख नीतिगत उपायों को अनुबंध 1 में सूचीबद्ध किया गया है।

I. राजकोषीय घाटा

2017-18 में संशोधित अनुमानों में 0.3 प्रतिशत का विचलन हुआ है जो बजट अनुमान में 3.2 प्रतिशत था। राजस्व घाटे (आरडी) के संबंध में यह विचलन कहीं अधिक है जो कि जीडीपी का 0.7 प्रतिशत है और प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी)¹ 0.8 प्रतिशत है। 2018-19 के लिए सकल राजस्व घाटा (जीएफडी) के जीडीपी के 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, जो मध्यम अवधि व्यय ढांचा(एमटीईएफ)/राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा पथ में दर्शाए गए लक्ष्यों से विचलन

¹ प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे और पूंजी आस्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान के बीच का अंतर होता है जो पूंजी प्राप्तियों की वह राशि दर्शाता है जिनका उपयोग सरकार के वास्तविक उपभोग खर्च के लिए किया जाता है।

सारणी 1: राजकोषीय घाटा : वास्तविक बनाम पालनीय लक्ष्य (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2017-18			2018-19		
	संशोधित अनुमान	एमटीईएफ	एफआरबीएम समीक्षा पैनाल	बजट अनुमान	एमटीईएफ	एफआरबीएम समीक्षा पैनाल
एफडी/जीडीपी	3.5	3.2	3.0	3.3	3.0	3.0
आरडी/जीडीपी	2.6	1.9	2.1	2.2	1.6	1.8
ईआरडी/जीडीपी	1.5	0.7	-	1.2	0.4	-

दर्शाता है (सारणी 1)। एफआरबीएम की प्रस्तावित नई प्रथा के अनुसार जीडीपी के 3.0 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की सीमा 2020-21 तक आस्थगित कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने सुपरिभाषित 'बचाव और उत्प्लावकता खंड' को शामिल करने का निर्णय लिया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लक्ष्यों में छूट कब प्रदान की जानी है और कब उन्हें कठोर बनाया जा सकता है।² सरकार ने राजस्व खाते के संबंध में घाटे के लक्ष्यों को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है अर्थात् आरडी और परिणामस्वरूप ईआरडी।

2018-19 के लिए जीएफडी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यद्यपि 2018-19 में 2017-18 की तुलना में राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात को कम करने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह पहले ही उधार संसाधनों का 67 प्रतिशत पहुंच गया है जबकि 2016-17 में यह 59 प्रतिशत ही था (सारणी 2)।

2017-18 में राजकोषीय विचलन को चल रहे सुधारों के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जीएसटी और उसके क्रियान्वयन को और साथ-ही-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि कर संग्रह के लिए एक पूर्ण वर्ष से कम की समयावधि उपलब्ध थी। इसके बावजूद, इसका समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ा जिससे बाह्य निवेशकों के विश्वास में कमी आई (छठा

सारणी 2: जीएफडी का विश्लेषण (प्रतिशत)

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
राजस्व घाटा	71.0	64.3	66.3	59.1	58.8	73.8	66.6
पूंजी परिव्यय	39.1	42.5	41.0	46.3	49.4	42.1	44.6
निवल उधारी	2.4	1.0	3.2	3.6	5.1	0.9	1.5
विनिवेश	-12.5	-7.9	-10.6	-8.9	-13.3	-16.8	-12.8


² राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण, 2018-19

द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018)। रेटिंग एजेंसियों के दृष्टिकोण से राजकोषीय विश्वसनीयता विशेष महत्व रखती है इस बात को विचार में रखते हुए कि भारत समान रूप से रेटिंग प्राप्त देशों के बीच अभी भी उच्च कर्ज और उच्च घाटे वाला देश बना हुआ है (अनुबंध II)। इसके अतिरिक्त, भारत के अन्य एशियाई समकक्षों की तुलना में इसके संयुक्त कर्ज की स्थिति को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि एक गंभीर राजकोषीय समायोजन कार्यक्रम चलाया जाए और इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता होगी (जोशी, 2017) (अनुबंध III)।

यद्यपि, प्रत्यक्ष दिखने वाले मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में शीर्ष राजकोषीय घाटे से संबंधित संख्याओं का व्यापक विश्लेषण किया जाता है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष मानदंडों के संबंध में राजकोषीय घाटे का विश्लेषण करने से भी कुछ विचार बिंदु सामने आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और आर्थिक सहयोग और व्यापार संगठन (ओईसीडी) ने इस क्षेत्र में गहन शोध किया है और वे अर्थव्यवस्थाओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वे व्यापार चक्र पर और अन्य अप्रत्यक्ष चक्रीय कारकों जैसे कि आस्ति और जिन्सों की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए अपेक्षित समायोजनों के पश्चात राजकोषीय उद्देश्य को अपनाएं और उसे प्रकाशित करें (बॉर्नहॉस्ट एवं अन्य, 2011; फेडीलिनो एवं अन्य, 2009; जिरोर्ड और एन्ड्रे 2005)। राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राजकोषीय संतुलन की कमजोरी को कभी-कभी अस्थायी रूप से उच्च आउटपुट/ आस्ति कीमतों में वृद्धि द्वारा छिपाया जा सकता है। इसके विपरीत, मंदी के दौरान चक्रीय कारकों के कारण राजकोषीय संतुलन को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा सकता है।

2017-18 में वृद्धि में चक्रीय धीमापन आया और इससे कुछ कर-राजस्व में क्षति पहुंची। आईएमएफ की परिभाषा³ के अनुसार चक्रीय समायोजित राजकोषीय घाटे की गणना करने पर 2017-18 में राजकोषीय घाटे पर व्यापारिक चक्र का प्रभाव जीडीपी का लगभग 0.17 प्रतिशत रहा। इसका

³ इनकी गणना एचपी और बीके आधारित क्षमता आउटपुट अनुमानों के आधार पर की गई है और इसके लिए समेकित और भिन्न-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व लचीलेपन (एलास्टिसिटीज) का प्रयोग किया गया है। इनका उपयोग आईएमएफ, ओईसीडी और ईसीबी ने घोष और मिश्रा(2015) और मिश्रा एवं त्रिवेदी (2016) तरीके से भारत के लिए अनुमान लगाने हेतु किया है।



अर्थ यह है कि नकारात्मक आउट-पुट अंतर को छोड़कर सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होता न कि हेडलाइन 3.5 प्रतिशत। तथापि, यदि कोई व्यापार लाभ प्रभाव की इसमें गणना कर लेता है तो यह राजकोषीय गुंजाइश समाप्त हो जाती है जिसका राजकोषीय स्थिति में लाभ हुआ जैसे कि 2015-16 से तेल की कीमतों में होने वाली गिरावट जिसमें दोहरा फायदा हुआ: केरोसीन और एलपीजी में कम राज-सहायता के साथ ही साथ पेट्रोल और डीज़ल में उच्चतर उत्पाद शुल्क के कारण क्योंकि कम मूल्यों का लाभ पूर्णतया उपभोक्ताओं को प्रदान नहीं

किया गया। व्यापार प्रभाव के संबंध में होने वाले लाभ जहां 2016-17 में अपने उच्चतम स्तर पर जीडीपी के 0.62 प्रतिशत पर थे वहीं 2017-18 में यह 0.48 प्रतिशत⁴ पर था। इस संबंध में चक्रीय और व्यापार प्रभाव के संदर्भ में समग्र राजकोषीय संतुलन को समायोजित करने पर यह लगभग 3.8 प्रतिशत बैठता है (चार्ट 1)। 2018-19 में भावी स्थिति को देखें तो तेल की कीमतों में इजाफा होने और आउट-पुट अंतर के क्षमता के निकट/ थोड़ा नीचे बने रहने से राजकोषीय घाटे को व्यापार और व्यापारिक चक्र से होने वाले लाभ सुलभ नहीं होंगे जैसा कि सारणी 3 की अंतिम पंक्ति में दर्शाया गया है।

सारणी 3: व्यापार चक्र और व्यापार प्रभाव की अवधि (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)


वर्ष	वास्तविक राजकोषीय घाटा	व्यापार चक्र लाभ	व्यापार लाभ की अवधि	कुल लाभ
2015-16	3.9	0.24	0.32	0.56
2016-17	3.5	0.13	0.62	0.75
2017-18 सं.अ.	3.5	-0.17	0.48	0.31
2018-19 अ.	3.3	शून्य/ नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

⁴ व्यापार प्रभाव अवधि इनके द्वारा अनुमानित है (1) इन वर्षों में पेट्रोल और डीज़ल में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को इसके दीर्घावधि रुझान से घटाकर और (2) अनुमानित अतिरिक्त राज-सहायता को जोड़कर जिसे भारत सरकार ने तेल मूल्य अंतर के लिए राज-सहायताओं की दीर्घावधि लचीलेपन के औसत के आधार पर दिया होता। यद्यपि यह तरीका अभी साहित्य में विद्यमान है परंतु यह उल्लेखनीय है कि व्यापार लाभ अवधि का उपयोग सामान्य तौर पर तेल मूल्य में तेजी के दौरान तेल निर्यातक देशों हेतु गणना में किया जाता है (परकिन(2010) और टर्नर (2006))। तथापि, चूंकि भारत एक तेल आयातक देश है इसलिए व्यापार लाभ अवधि तेल मूल्य में गिरावट से संबंधित है।

II. प्राप्ति

II.1 कर राजस्व

केन्द्रीय बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2018-19 में कर राजस्व में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो कि जीडीपी का 12.1 प्रतिशत बैठता है(अनुबंध IV)। कर राजस्व राज्यों को सौंपने के बाद निवल कर राजस्व में 16.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है जो कि जीडीपी का 7.9 प्रतिशत है। यह अब तक का उच्चतम कर-जीडीपी अनुपात संबंधी बजट अनुमान है जो जीएसटी के नियमनिष्ठ होने और कर आधार का व्यापक होना दर्शाता है (चार्ट 2)।



प्रत्यक्ष कर की सभी प्रकार की कर श्रेणियों के लिए 2018-19 में बजटीय उछाल उच्चतर है जो कि पिछले आठ वर्षों (2010-11 से 2017-18) के औसत से अधिक है (सारणी 4)।

II.1.1 प्रत्यक्ष कर

2018-19 में प्रत्यक्ष कर में 14.4 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है जिसका मुख्य आधार आयकर संग्रह में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि होने पर आधारित है। विमुद्रीकरण के बाद कर-दाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 6.84 करोड़ आयकर ई-विवरणियां दाखिल की गईं जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 5.43 करोड़ विवरणियां दाखिल

की गईं थीं जो कि 26 प्रतिशत⁵ की वृद्धि दर दर्शाती हैं। 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह ने अप्रत्यक्ष कर संग्रह में हुई कमी को पूरा कर दिया था।

सरकार वेतन-भोगी कर दाताओं को राहत देने के लक्ष्य पर काम कर रही है इसे देखते हुए परिवहन भत्ते और विविध चिकित्सकीय खर्चों की प्रतिपूर्ति के संबंध में मौजूदा छूट के स्थान पर ₹40,000/- की मानक कटौती घोषित की गई है। दूसरी ओर, 3 प्रतिशत के शिक्षा उपकर को 4 प्रतिशत की दर पर 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' से बदल दिया गया है जिसे देय कर पर प्रभारित किया जाएगा।

25 प्रतिशत की कारपोरेट कर दर जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹0.5 बिलियन का कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू थी उसे अब ₹2.5 बिलियन तक का

सारणी 4: कर उछाल

	औसत कर उछाल (2008-09 से 2017-18)	संकट बाद कर उछाल (2010-11 से 2017-18)	2017-18 संशोधित अनुमान	2018-19 के लिए बजट में अनुमानित कर उछाल
1	2	3	4	5
सकल कर राजस्व	1.01	1.22	1.34	1.45
कारपोरेशन कर	0.87	0.87	1.62	0.88
आयकर	1.17	1.37	2.09	1.72
सीमा शुल्क	0.23	0.46	-3.98	-1.46
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.84	1.21	-2.74	-0.54
सेवा कर	0.75	0.79	-6.85	-8.66

⁵ भारत सरकार, प्रेस आसूचना ब्यूरो, 02 अप्रैल 2018

कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए लागू कर दिया गया है। इस उपाय के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹70 बिलियन के करीब राजस्व में कमी आने की संभावना है। तथापि, 99 प्रतिशत कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर दर में कमी का लाभ समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्राप्त होगा और इससे उनके पास निवेश के लिए अधिक अधिशेष उपलब्ध होगा। इसके अलावा, इससे एमएसएमई क्षेत्र में उच्चतर कर अनुपालन भी प्रोत्साहित होगा।

II.1.2 अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी राजस्व 12 महीनों के स्थान पर केवल 11 महीनों के लिए प्राप्त होने के बावजूद, अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2016-17 की तुलना में 2017-18 में 8.7 प्रतिशत अधिक हुआ। 2018-19 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में 19.1 प्रतिशत का इजाफा होने का बजट में अनुमान लगाया गया है जिसमें ₹7.4 ट्रिलियन जीएसटी संग्रह होने का अनुमान है- जो कि 67.3 प्रतिशत की वृद्धि है और एक महीने के संग्रह की हानि के समायोजन के पश्चात 21.5 प्रतिशत की वृद्धि है (सारणी 5)। जीएसटी के संबंध में, दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने के प्रक्रियाधीन होने के मद्देनजर जहां एक ओर बजट में प्रावधान किए गए आंकड़ों के काफी अधिक होने के बारे में चिंताएं प्रकट की गई हैं, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों से पता चलता है कि वैट/जीएसटी लागू किए जाने के परिणाम, समय के दौरान अपेक्षाकृत अधिक सरकारी राजस्व-जीडीपी अनुपात के रूप में देखे गए हैं (भा.रि.बैंक, 2017)। जीएसटी के अंतर्गत अभी तक (25 फरवरी 2018 तक) लगभग 1.03 करोड़ करदाता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 16.42 लाख कंपोजीशन डीलर हैं, जिनसे प्रत्येक तिमाही⁶ में कर विवरणी फाइल करना अपेक्षित होता है।

कुछ सामग्रियों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है - व्याख्यात्मक रूप में, मोबाइल फोनों पर शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और टीवी के विशिष्ट कलपुर्जों पर शुल्क 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया

है। सीमा शुल्क में वृद्धि से घरेलू गुणवत्ता संवर्धन (वैल्यू एडिशन) और मेक इन इंडिया की पहल को प्रोत्साहन मिलने की संभावना होने तथा देश में और अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने के बावजूद इसे संरक्षणात्मक उपाय के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कारण कारोबारी भागीदारों की ओर से प्रतिकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

II.2 कर से इतर राजस्व

2018-19 में कर से इतर राजस्व प्राप्तियों में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। 2017-18 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) - (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित) के लाभांश और लाभ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतरित होने वाला अधिशेष 25.3 प्रतिशत कम रहा और इनमें अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के संबंध में प्रभावी उपाय किए गए हैं (सारणी 6)। संघ के बजट में रेलवे बजट को मिला दिए जाने से 2017-18 से रेलवे ने कार्यशील पूंजी पर लाभांश का भुगतान बंद कर दिया है।

आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों के अंतर्गत, संचार सेवाओं (अर्थात् स्पैक्ट्रम नीलामी) से निवल प्राप्तियों के 2018-19 में 2017-18 (आरई) की तुलना में काफी अधिक - 58.3 प्रतिशत, रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि 2017-18 में संचार सेवाओं से निवल प्राप्तियों के ₹443.4 बिलियन की संभावना थी, किंतु मुख्य रूप से स्पैक्ट्रम नीलामियों के विलंबित होने के कारण वास्तविक प्राप्तियां कम (₹307.4 बिलियन) रहीं।

यह देखा गया कि 2015-16 (27.0 प्रतिशत वृद्धि) और 2016-17 (33.2 प्रतिशत वृद्धि) में केंद्र सरकार की प्राप्तियों को कर से इतर राजस्व से काफी सहारा मिला। 2017-18 एवं 2018-19 में कर से इतर राजस्व 2016-17 की तुलना में कम रहने से, सरकार पर कर राजस्व और विनिवेश के लक्ष्य हासिल करने का दबाव अपेक्षाकृत अधिक रहेगा।

सारणी 5: जीएसटी संग्रह


	2017-18 (संअ) (₹ बिलियन)	2018-19 (बअ) (₹ बिलियन)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत)
सीजीएसटी	2214	6039	172.8
आईजीएसटी	1619	500	-69.1
क्षतिपूरक उपकर	613	900	46.7
कुल	4446	7439	67.3

⁶ भारत सरकार, पत्र सूचना ब्यूरो, 27 फरवरी 2018.

सारणी 6: लाभांश और लाभ

	(₹ बिलियन)			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2016-17	2017-18 (संअ)	2018-19 (बअ)	2016-17	2017-18 (संअ)	2018-19 (बअ)
लाभांश और लाभ	1230.2	1064.3	1073.1	9.7	-13.5	0.8
पीएसई से	518.5	548.1	524.9	69.4	5.7	-4.2
भा.रि.बैं./बैंक/ वित्तीय संस्थानों से	711.6	516.2	548.2	-12.7	-27.5	6.2

चार्ट 3: विनिवेश से आमदनी और शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन



II.3 कर्ज से इतर पूंजीगत प्राप्तियां

2018-19 (बअ) में विनिवेश का लक्ष्य ₹800 बिलियन निर्धारित किया गया है। 2017-18 (संअ) में सरकार ने ₹275 बिलियन के लक्ष्य को पार कर लिया था, जिसमें शेयर बाजार के उछाल से सहायता प्राप्त हुई थी (चार्ट 3)। 2017-18 (संअ) में ऋणों और अग्रिमों की निवल वसूलियों में 30.2 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। कुल कर्ज से इतर पूंजीगत प्राप्तियाँ, जो 2017-18 (संअ) में बअ की तुलना में ₹330 बिलियन अधिक थीं, के 2018-19 (बअ) में 21.5 प्रतिशत कम रहने की संभावना है। 2017-18 में, 2009-10 के बाद से पहली बार, विनिवेश के अनुमानित लक्ष्य के हासिल होने से 2018-19 की संभावना के बारे में आशावादी नजरिया विद्यमान है। इसके कारण राजस्व जुटाने के प्रयासों को सहारा मिलेगा और घाटा वित्तपोषण किए जाने योग्य होगा। हालांकि, शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की गिरावट आने से 2018-19 में बजट लक्ष्यों को पूरा करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

III. व्यय

2018-19 में कुल व्यय के 10.1 प्रतिशत की दर (2017-18 संअ में 12.3 प्रतिशत) से बढ़ने की संभावना है (सारणी 7)। पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय में अधिक दर से वृद्धि होने की संभावना है।

अलग-अलग व्यय श्रेणियों के संबंधित बजट अनुमानों में एमटीईएफ विवरण (एफआरबीएम का दस्तावेज) से अंतर पाया गया है, जिसे अगस्त 2017 में संसद के पटल पर रखा गया। कुल व्यय के एमटीईएफ विवरण की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण अपेक्षाकृत अधिक राजस्व व्यय, विशेषरूप से पेंशन एवं पेट्रोलियम पर राज-सहायता पर खर्च होना था (सारणी 8)। पांच महीनों की अवधि में, अर्थात् अगस्त 2017 में एमटीईएफ से, व्यय अनुमानों के रूझान राजकोषीय नीतिगत विश्वसनीयता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। राजस्व-पूंजी अनुपात के 2016-17 के 6:1 के स्तर से घटकर 2018-19 में 7:1 के स्तर पर रह जाने की संभावना के कारण सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता की चिंता बनी रह सकती है।

सारणी 7: केंद्र सरकार के व्यय

मद	जीडीपी का प्रतिशत			वृद्धि दर		
	2016-17	2017-18(संअ)	2018-19(बअ)	2016-17	2017-18(संअ)	2018-19(बअ)
कुल व्यय	12.9	13.2	13.0	10.3	12.3	10.1
राजस्व व्यय	11.1	11.6	11.4	9.9	15.0	10.2
पूंजीगत व्यय	1.9	1.6	1.6	12.5	-3.9	9.9

सारणी 8: एमटीईएफ विवरण की तुलना में बजट अनुमान
(₹ बिलियन)

व्यय की मदें	2018-19		अंतर = बीई- एमटीईएफ	
	बजट अनुमान	एमटीईएफ विवरण के अनुमान	₹ बिलियन	प्रतिशत
I. राजस्व व्यय	21417.7	19990.1	1427.7	7.1
जिसमें से				
(i) ब्याज	5758.0	5644.0	114.0	2.0
(ii) पेंशन	1684.7	1443.2	241.5	16.7
(iii) प्रमुख छूट	2643.3	2630.0	13.4	0.5
ए. उर्वरक	700.8	700.0	0.8	0.1
बी. भोजन	1693.2	1750.0	-56.8	-3.2
सी. पेट्रोलियम	249.3	180.0	69.3	38.5
II. पूंजीगत व्यय	3004.4	3410.0	-405.6	-11.9
III. कुल व्यय	24422.1	23400.1	1022.1	4.4

III.1 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय, जो वृद्धि को प्रेरित करता है, में 2018-19 में 2017-18 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का प्रस्ताव किया गया है। यह 2017-18 के बजट प्रस्तावों की तुलना में 3.0 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। 2018-19 में पूंजीगत परिव्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, जो बजट अनुमानों की तुलना में थोड़ा अधिक है किंतु 2017-18 (संअ) की तुलना में 1.6 प्रतिशत से अधिक की तीव्र वृद्धि हुई। 2018-19 (बअ) में प्रमुख आधारभूत संरचनाओं से संबंधित पूंजीगत परिव्यय में 23.0 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है। इस वृद्धि में रेलवे, सड़कों और पुलों का अग्रणी योगदान रहा


(सारणी 9) - जबकि 2017-18 (संअ) में (-) 2.1 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। दूसरी ओर, नागर विमानन पर होने वाले व्यय में कमी हो रही है, जो 2016-17 से जारी है। इस क्षेत्र को बजट सहायता के स्थान पर बाजार से उधारियों और आस्तियों के नकदीकरण के माध्यम से बाजार से सहायता लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संचार से संबंधित बजट में प्रावधानीकृत आबंटन (2017-18 संअ की तुलना में 0.5 प्रतिशत वृद्धि), धीमी गति से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के लक्ष्य के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

आंशिक साम्य वाले ढांचे में, पूंजीगत परिव्यय में ₹207 बिलियन की वृद्धि होने से उत्पादन में ₹434 बिलियन (2018-19 में जीडीपी का लगभग 0.2 प्रतिशत) की वृद्धि होने की संभावना है। यहां पर पूंजीगत परिव्यय गुणक को 2.10 माना गया है (जैन एवं कुमार; 2013)। यह नोट किया जा सकता है कि अपनी साथी उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच, राजकोषीय घाटा तुलनात्मक रूप से अधिक रहने के बावजूद (चार्ट 4) भारत द्वारा पूंजीगत व्यय पर खर्च की गए जीडीपी का हिस्सा कम रहा है (अकिन एवं अन्य : 2017)। हालांकि, यदि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) एवं वाणिज्यिक विभागीय उपक्रमों द्वारा उपयोग में लाए गए आंतरिक और बाहरी बजट संसाधनों (आईईबीआर) को विचार में लिया जाए तो वास्तविक पूंजीगत व्यय बजट अनुमान की तुलना में अधिक होगा। इसलिए इस बात को मान्यता प्रदान किए जाने की जरूरत है कि सरकार पूंजीगत प्रकृति के महत्वपूर्ण व्यय का वित्त पोषण अब बजट संसाधनों से इतर (ईबीआर) माध्यमों से कर रही है।

सारणी 9: पूंजीगत परिव्यय

	2015-16	2016-17	2017-18 (संअ)	2018-19 (बअ)	2016-17	2017-18(संअ)	2018-19 (बअ)
	₹ बिलियन				प्रतिशत परिवर्तन		
1. सकल पूंजीगत परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	1467.3	1614.3	1640.1	1846.8	10.0	1.6	12.6
1.1 प्रमुख आधारभूत संरचना	737.8	1001.2	980.4	1206.1	35.7	-2.1	23.0
सिंचाई	0.9	0.8	3.2	6.2	-8.5	285.5	95.3
ऊर्जा	19.4	45.3	28.0	52.6	133.2	-38.3	88.1
भारतीय रेल	350.1	452.3	400.0	530.6	29.2	-11.6	32.7
सड़क और पुल	296.4	437.7	480.3	557.2	47.7	9.7	16.0
नागर विमानन	33.6	27.1	18.4	7.2	-19.4	-31.9	-60.9
बंदरगाह एवं प्रकाश स्तंभ	1.9	3.2	1.7	3.3	66.9	-46.5	91.7
संचार	35.5	34.8	48.8	49.0	-2.0	40.4	0.5
1.2 उद्योग एवं खनिज	36.2	41.4	42.6	45.0	14.1	3.0	5.5
1.3 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं वातावरण	40.4	52.3	53.2	70.5	29.5	1.7	32.5
1.4 अन्य	652.9	519.4	563.9	525.3	-20.4	8.6	-6.8


चार्ट 4: सरकारी पूंजीगत परिव्यय एवं राजकोषीय संतुलन में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2016⁷ तक का औसत



2018-19 के संघीय बजट के अनुसार, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल प्रणाली को लक्ष्य करके “आयुष्मान भारत” कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा शिक्षा प्रणाली के सुधारों के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को एक साथ मिलाकर व्यय में 4.6 प्रतिशत

वृद्धि होने की संभावना है। जीडीपी के रूप में, सामाजिक क्षेत्र का व्यय, प्राथमिक रूप से भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा को समाहित करने वाला, साथी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निराशाजनक रूप से बहुत कम स्तर पर बना हुआ है (चार्ट 5)।

चार्ट 5: जीडीपी के प्रतिशत (2016) के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय



स्रोत: ओईसीडी सांख्यिकी एवं भारि.बैं.

⁷ तीन वर्षों, नामतः 2013-14 से 2015-16 तक का औसत केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय और आरेख में दर्शाए गए देशों के राजकोषीय संतुलन के संबंध में लिए गए हैं। आंकड़ों के स्रोत निम्नलिखित रहे हैं - एडीबी सांख्यिकीय डेटाबेस, मैक्सिको का केंद्रीय बैंक, श्रीलंका का केंद्रीय बैंक, फिलीपीन्स का बजट प्रबंधन विभाग, पेरु का केंद्रीय बैंक एवं भारत का संघीय बजट दस्तावेज।

III.2 सब्सिडी और ब्याज का भुगतान

सब्सिडी और ब्याज का भुगतान सरकार के प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रमुख भाग है। व्यापक आधार पर देखें तो 2017-18 (संशोधित आकलन) में प्रमुख सब्सिडी, बजट आकलन की तुलना में 106.2 बिलियन रुपये घट गई और इसके विपरीत उसमें 2018-19 में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद की जाती है, जिसकी मुख्य वजह खाद्य सब्सिडी में 20.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। फिर भी, 2018-19 (बजट आकलन) में प्रमुख सब्सिडी के शेयर को लेकर बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया और इस प्रकार वह जीडीपी का 1.4 प्रतिशत रहा (सारणी 10)।

कच्चे तेल और गैस की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी भी बढ़ सकती है। किसानों की परेशानी को महसूस करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है जो अपने आप में खाद्य सब्सिडी में मामूली बढ़ोतरी का संकेत देती है। आगे कहा जा सकता है कि प्रमुख सब्सिडी के लिए जो बजट किया गया है उसका व्यय मध्यमावधि में किया जाना चाहिए और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना एवं डिजिटाइजेशन के माध्यम से कवरेज को बेहतर किया जाएगा, फलस्वरूप लीकेज को कम किया जा सकता है।

ब्याज के भुगतान को लेकर बजट में 2017-18 (संआ) की तुलना में 2018-19 में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 2018-19 (बआ) में, ब्याज के भुगतान को लेकर ₹5758 बिलियन व्यय होने का आकलन किया गया है जो राजस्व व्यय को ध्यान में रखकर किए गए बजट का 26.9 प्रतिशत और केन्द्र सरकार के कुल व्यय को लेकर किए गए बजट का 23.6 प्रतिशत होता है। 2018-19 हेतु किए गए बजट के मुताबिक वह जीडीपी का लगभग 3.1 प्रतिशत

होता है जो 2017-18 (संआ) 3.2 प्रतिशत की अपेक्षा थोड़ा ही कम है। राजस्व में अधिक उछाल से ब्याज के भुगतान को लेकर सरकार का भार हल्का होने की उम्मीद की जाती है।⁸

अनुबंध V में प्रमुख प्राप्ति, व्यय एवं घाटा संकेतकों को एक नज़र में देखा जा सकता है।

IV. घाटे का वित्तपोषण

2018-19 हेतु सकल बाजार उधार की राशि ₹6,055 बिलियन होने का अनुमान है जो गत वर्ष के स्तर से लगभग 1.1 प्रतिशत ज्यादा है। तथापि, इसी अवधि में ₹3,991 बिलियन के निवल बाजार उधार में 2.6 प्रतिशत की गिरावट का आकलन किया गया है, जो वर्ष के दौरान चुकोतियों में बढ़ोतरी होने की वजह से है (सारणी 11)। ₹281 बिलियन के सिक्कुरटीज़ (जो कैश न्यूट्रल हैं) के स्विच (सकल) और ₹719 बिलियन के नेट बाइबैक (सकल) के लिए भी प्रावधान⁹ किया गया है। वर्ष 2018-19 (बआ) में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधार जीएफडी का 63.9 प्रतिशत है, जो 2017-18 (संआ) में 68.9 प्रतिशत से कम है। यूनियन बजट में कुल ₹1 ट्रिलियन के नकदी प्रबंध बिल (सीएमबी) के निर्गम की व्यवस्था की गई है और यह जीएफडी के वित्तपोषण के लिए न होकर नकदी प्रबंध परिचालन के लिए है। वर्ष 2018-19 (बआ) के लिए सीएमबी का निवल निर्गम शून्य है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में सावरेन गोल्ड बान्ड (एसजीबी) जारी करने के जरिए ₹50 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, राजकोषीय चूक से उत्पन्न चिंताएं और फलस्वरूप उच्चतर उधारी की आवश्यकताओं का अर्थव्यवस्था में उधारियों की लागत पर व्यापक असर पड़ सकता है और उत्पादनशील निजी क्षेत्र निवेश को बाधित कर सकता है (आरबीआई, मार्च 2018)। साथ ही,

सारणी 10: केन्द्र सरकार की प्रमुख राजसहायता

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2016-17 (वास्तविक)		2017-18 (बआ)		2017-18 (संआ)		2018-19 (बआ)	
	राशि	जीडीपी में %	राशि	जीडीपी में %	राशि	जीडीपी में %	राशि	जीडीपी में %
कुल प्रमुख सब्सिडी	2,040.2	1.3	2,403.4	1.4	2,297.2	1.4	2,643.4	1.4
i. खाद्य	1,101.7	0.7	1,453.4	0.9	1,402.8	0.8	1,693.2	0.9
ii. उर्वरक	663.1	0.4	700.0	0.4	649.7	0.4	700.8	0.4
iii. पेट्रोलियम	275.4	0.2	250.0	0.1	244.6	0.1	249.3	0.1

⁸ मीडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, 2017

⁹ इस बात पर गौर किया जाए कि बजट उदघोषणा के बाद, भारत सरकार ने 26 मार्च 2018 की प्रेस विज्ञप्ति में वित्तपोषण को कम करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बाजार से 500 बिलियन रुपये उधार लिया जाएगा, जिसमें से वापसी खरीद और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ), प्रत्येक के जरिए 250 बिलियन रुपये का वित्तपोषण किया जाएगा।

सारणी 11: जीएफडी का वित्तपोषण

(₹ बिलियन)

मद	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (संअ)	2018-19 (बअ)
1	2	3	4
सकल राजकोषीय घाटा	5,356.18	5,948.49	6,242.76
	(100.0)	(100.0)	(100.0)
<i>द्वारा वित्तपोषित</i>			
निवल बाजार उधार*	3,381.49	4,098.57	3,991.20
	(63.1)	(68.9)	(63.9)
अन्य खजाना बिल	170.57	700.07	80.00
	(3.2)	(11.8)	(1.3)
लघु बचत (निवल) के बदले में जारी प्रतिभूतियां	674.35	1,026.28	750.00
	(12.6)	(17.3)	(12.0)
विदेशी सहायता	179.97	24.18	-25.89
	(3.4)	(0.4)	-(0.4)
राज्य भविष्य निधि	177.45	150.00	170.00
	(3.3)	(2.5)	(2.7)
एनएसएसएफ	154.51	-415.54	0.00
	(2.9)	-(7.0)	(0.0)
आरक्षित निधि	-64.36	6.70	31.14
	-(1.2)	(0.1)	(0.5)
जमाराशि और अग्रिम	177.92	168.45	159.10
	(3.3)	(2.8)	(2.5)
उपयोग के कारण नकदी शेष में कमी	-88.95	-393.79	430.66
	-(1.7)	-(6.6)	(6.9)
अन्य	593.23	583.58	656.54
	(11.1)	(9.8)	(10.5)

*इसमें प्रतिभूतियों में परिवर्तन तथा वापसी-खरीद के निवल प्रभाव को हिसाब में लेते हुए दिनांकित प्रतिभूतियां एवं 364-दिन के खजाना बिल शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीएफडी की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।

एनएसएसएफ और अन्य लघु बचतों का अधिकाधिक सहारा लेने के साथ बाजार पर निर्भरता को कम करने से ब्याज में बचत की जो संभावना है वह उपचित नहीं हो पाएगी।


V. देयताएं

बजट में केंद्र सरकार का जीडीपी की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात 2017-18 के 49.1 प्रतिशत (संआ) से घटकर 2018-19 में 47.8 प्रतिशत होने का आकलन किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार ने कर्ज के नियम को अपनाए जाने को लेकर राजकोषीय सुधार एवं बजट प्रबंधन समिति, 2017 की महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और 2024-25 तक केंद्र सरकार का जीडीपी की तुलना में कर्ज का अनुपात घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। बजट में बताया गया है कि राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज का भुगतान, जो कर्ज चुकौती क्षमता का संकेतक है, गत वर्ष की तुलना में मामूली रूप से घटेगा (चार्ट 6)।

VI. 2018-19 में केंद्र द्वारा राज्यों को स्रोत का अंतरण

14वें वित्त आयोग की सिफारिश का पालन करते हुए, राज्यों को मिलने वाले कर अंतरण हिस्से को बढ़ाकर विभाज्य पूल के 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया गया था, जो राज्यों को बगैर किसी शर्त के अंतरण के प्रवाह को बढ़ाने और फिर भी केंद्र सरकार के पास राज्यों को विशिष्ट प्रयोजनार्थ अंतरित करने के लिए पर्याप्त राजस्व उपलब्ध होने के जुड़वा उद्देश्यों को पूरा करता है। उपर्युक्त

चार्ट 6: केंद्र सरकार के कर्ज और ब्याज का बोझ



के मद्देनजर, 2018-19 में राज्य सरकार को किए जाने वाले सकल अंतरण में मामूली रूप से बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जाती है, जिसका मुख्य कारण कर अंतरण एवं वित्त आयोग अनुदान है, यद्यपि भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से किए गए अंतरण में हुई वृद्धि में तेजी से गिरावट आई। 2018-19 में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को कर अंतरण के रूप में ₹7,881 बिलियन अंतरित करने की उम्मीद की जाती है, जो एक वर्ष पहले किए गए अंतरण की अपेक्षा लगभग 17.0 प्रतिशत अधिक है। इसमें यह मानते हुए भारी वृद्धि की उम्मीद की जाती है कि 2018-19 में कर संग्रह में उछाल आएगा।

राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट) में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य सरकार राजकोषीय समेकन के अपने लक्ष्य को थोड़ा-थोड़ा करके प्राप्त करने के करीब हैं, क्योंकि जीएसटी करार के अंश के रूप में केंद्र ने राज्यों को इस बात की गारंटी दी है कि उनको मिलने वाले अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि की जाएगी। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण राजकोषीय रूप से तटस्थ होता है क्योंकि इस

राशि को कतिपय विशिष्ट विलासिता प्रधान एवं अवगुण माल, जैसे, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, एरेटड वॉटर, मोटर वाहनों पर 28 प्रतिशत की अधिकतम दर पर सेस के रूप में वसूला जाता है। यह प्रस्ताव पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है ताकि जीएसटी को लागू करने की वजह से राज्यों को जो राजस्व हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। इस राशि को जीएसटी (राज्यों को कम्पेनसेशन) अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अनुसार जीएसटी कम्पेनसेशन फंड के नाम से कहलाने वाले सरकारी खाते में गैर-कालातीत फंड में अंतरित किया जाता है।

केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अंतरण में जो वृद्धि हुई है, जिसका सकल अंतरण में लगभग 22.0 प्रतिशत हिस्सा है, उसमें एक वर्ष पूर्व के 16.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2018-19 में 5.3 प्रतिशत की तेज गिरावट होने की उम्मीद की जाती है। 2018-19 में सकल एवं निवल दोनों संदर्भों में राज्यों को किए जाने वाले अंतरण (जीडीपी में प्रतिशत) में 10 आधार अंकों की वृद्धि की उम्मीद की जाती है (सारणी 12)।

सारणी 12: राज्यों को स्रोत का अंतरण

	2016-17	2017-18 (सअ)	2018-19 (बअ)	2016-17	2017-18 (सअ)	2018-19 (बअ)	2017-18 (सअ)	2018-19 (बअ)
	राशि			कुल अंतरण में हिस्सा			वृद्धि	
	₹ बिलियन			प्रतिशत			प्रतिशत	
I. राज्यों का कर अंतरण हिस्सा	6080.0	6730.1	7880.9	61.7	60.3	62.1	10.7	17.1
II. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मर्दें जिसमें से	480.5	393.9	544.8	4.9	3.5	4.3	-18.0	38.3
ए. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना ऋण	177.6	175.0	200.0	1.8	1.6	1.6	-1.5	14.3
बी. विशेष सहायता	109.0	70.0	150.0	1.1	0.6	1.2	-35.8	114.3
III. वित्त आयोग अनुदान जिसमें से	955.5	1014.9	1093.7	9.7	9.1	8.6	6.2	7.8
ए. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	313.7	390.4	450.7	3.2	3.5	3.6	24.5	15.4
बी. शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	145.0	172.5	198.7	1.5	1.5	1.6	19.0	15.2
सी. अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान	413.1	358.2	345.8	4.2	3.2	2.7	-13.3	-3.5
IV. राज्यों को कुल अंतरण [(I)+(II)+(III)] के अलावा]	2289.6	2967.2	3109.9	23.2	26.6	24.5	29.6	4.8
ए. केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत (राजस्व)	2258.5	2637.8	2777.5	22.9	23.6	21.9	16.8	5.3
बी. केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत	24.1	317.65	321.9	0.2	2.8	2.5	1219.7	1.3
V. दिल्ली और पुदुचेरी के कुल अंतरण	51.1	52.7	65.0	0.5	0.5	0.5	3.1	23.3
VI. राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सकल अंतरण	9856.7	11158.8	12694.4	100.0	100.0	100.0	13.2	13.8
VII. ऋणों और अग्रिमों की वसूली को घटाकर	125.8	93.0	96.0	-	-	-	-26.1	3.2
VIII. निवल अंतरण (VI-VII)	9731.0	11065.8	12598.4	-	-	-	13.7	13.9
IX. सकल अंतरण/ जीडीपी (प्रतिशत)	6.5	6.7	6.8	-	-	-	-	-
X. निवल अंतरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.4	6.6	6.7	-	-	-	-	-

स्रोत: यूनियन बजट 2018-19

VII. भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण उपाय

VII.1 बैंक का पुनःपूँजीकरण

बैंक पुनःपूँजीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष ₹800 बिलियन के बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को एक एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेन्स (ईज) कार्यक्रम के दिशानिर्देश के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार योजना के साथ समेकित किया गया है। इस पुनःपूँजीकरण की बदौलत सरकारी क्षेत्र के बैंक ₹5 ट्रिलियन का अतिरिक्त उधार दे पाएंगे। पुनःपूँजीकरण बैंकों के तुलन पत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे बैंकों को लाभप्रद क्षेत्रों को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने के योग्य बनना चाहिए। हालांकि बॉन्ड आधारित पुनःपूँजीकरण बजट-न्यूट्रल होता है, इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकार शेरों के जरिए सरकार की शेयरधारिता में खासी वृद्धि होती है और निवेशक शायद इसे रिफार्म के रोल-बैक के रूप में समझते होंगे।

VII.2 स्थायी जमा सुविधा

वित्त विधेयक में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) लागू करने को लेकर आरबीआई अधिनियम की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इससे मौद्रिक नीति का तौर-तरीका काफी मजबूत होगा क्योंकि यह आरबीआई को साधन उपलब्ध कराएगा जो बाजार के सहभागियों को संपार्श्विक प्रदान किए बगैर चलनिधि में असाधारण रूप से हुए अत्यधिक विस्तार को समाहित कर लेगा। आरबीआई के टूल-किट का यह अतिरिक्त लिखत विमुद्रीकरण एवं पूँजी अंतर्वाहों में तेजी से होने वाली बढ़ोतरी जैसी घटनाओं का समाधान करेगा, और साथ ही राजकोषीय लागत वाली बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गमों की जरूरतों को भी दूर कर सकता है।

VIII.3 न्यूनतम समर्थन कीमत

रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) उसकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना निर्धारित की गई है और यह सभी खरीफ फसलों पर भी लागू की गई है ताकि किसानों के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जा सके। यहां इस बात पर गौर किया जाए कि फसल वर्ष 2017-18

(बाजार वर्ष 2018-19) के लिए निर्धारित रबी एमएसपी A2+FL लागतों का डेढ़ गुना थी लेकिन इसमें संपूर्ण C2 लागत नहीं थी जिसमें स्वाधिकृत भूमि एवं स्वाधिकृत स्थिर पूँजी पर ब्याज की लागतों का अभियोग भी शामिल हैं। साथ ही, सभी फसलों (खरीफ और रबी) को कुल मिलाकर देखें तो सीपीआई-भारित एमएसपी A2+FL लागतों के डेढ़ गुना से अधिक थे, लेकिन C2 लागतों¹⁰ के मुकाबले वे केवल 14 प्रतिशत अधिक थे। इसके अतिरिक्त, ऐसे कई प्रस्ताव हैं जो खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता को कम कर सकते हैं, जैसे, खरीदी में बढ़ोतरी करने से एमएसपी को लेकर बाजार कीमतों में स्थिरता आएगी; 'ऑपरेशन ग्रीन' के अंतर्गत टमाटर, प्याज और आलू को शामिल करना; और जिला स्तरों पर वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर आधारित मॉडल अपनाया जाना। यद्यपि, इस स्तर पर मुद्रास्फीति पर एमएसपी वृद्धि के सटीक प्रभाव का पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सकता है लेकिन यह मुद्रास्फीति संभावना में वृद्धि का जोखिम पैदा करता है (आरबीआई, छठा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018)।

VIII. समग्र आकलन

सार यह है कि, 2018-19 का यूनियन बजट राजकोषीय समेकन की कठिनाई एवं अर्थव्यवस्था को उभारने की मांग के बीच की बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। विमुद्रीकरण एवं जीएसटी लागू करने की वजह से जो तनाव पैदा हुआ था, वह अब कम हो गया है, जिसके चलते आर्थिक गतिविधि बेहतर होंगी, कर राजस्व में इजाफा होगा और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आयात-निर्यात में हुई हानि से राजकोषीय दायरा सीमित हो सकता है। साथ ही, कृषि और आधारभूत संरचना पर भारी व्यय किए जाने से राजस्व पर दबाव पड़ेगा। ऐसा किए जाने से विनिवेश लक्ष्यों को हासिल करना या फिर निर्धारित लक्ष्यों से अधिक परिणाम हासिल किया जाना जरूरी हो जाएगा, जो कुछ अर्थों में मुक्त हो जाने के निर्णय से स्वायत्त होते हैं और बाजार परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं।

राजस्व की बात करें तो विलंबित उछाल से जीएसटी संग्रह को लाभ मिल सकता है क्योंकि प्रणाली स्थिर हो

¹⁰ A2+FL में किराए पर लिए गए श्रमिकों पर नकदी और वस्तु रूप में किए गए सभी व्यय शामिल हैं, जिसमें मानव, बैल, मशीन, बीज, कीटनाशक, कीड़नाशी, खाद, उर्वरक, सिंचाई प्रभार एवं विविध व्यय और पारिवारिक श्रम (एफएल) की लागतों के अभियोग आते हैं। C2 में A2+FL लागत के साथ-साथ स्वाधिकृत भूमि एवं स्वाधिकृत स्थिर पूँजी पर ब्याज की लागतों के अभियोग शामिल हैं।

जाती है और यह एक सरल एवं अधिक न्यायसंगत दर ढांचे की दिशा में आगे बढ़ने के रूप में और प्रोत्साहित करेगा। चुनिंदा सामग्रियों पर सीमा शुल्क में वृद्धि अनिवार्य रूप से राजस्व बढ़ाने का प्रयास है। प्रत्यक्ष कर पर सहायक कर व्यवस्था से एमएसएमई के लाभ उछाल और अनुपालन को बढ़ा सकते हैं, जबकि ₹250 करोड़ के कारोबार वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत दर बढ़ाने का प्रस्ताव राजस्व के नुकसान को अपरिहार्य बना देगा। टैक्स मूल्यांकन में बढ़ोतरी, विशेष रूप से नए लोग, कर-जीडीपी अनुपात को कम से कम समकक्षों के स्तर तक बढ़ाने के लिए अच्छी शुरुआत करते हैं। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना काफी महत्व रखता है और यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा जो बाजार की स्थितियों और निवेशकों की भ्रूख का लाभ उठाएगा।

वित्तीय प्रणाली के साथ बजट के परस्पर प्रभाव के संबंध में, बैंक क्रेडिट में हाल के सुधार के लिए बैंकों का पुनःपूँजीकरण उधार को गति दे सकता है और इसके बदले में, समग्र विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत सकारात्मक है।

अंत में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर स्वागत योग्य है और यह सरकार द्वारा 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर अगला कदम है। यह ग्रामीण मांग को पुनर्जीवित करेगा और वृद्धि में स्थिर सुधार के लिए एक मंच प्रदान करेगा। डिजिटाइजेशन पर जोर देना, आधार आधारित लोक उपयोगी सेवाएँ प्रदान करना और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना वृद्धि के पुनरुत्थान को समवेशी व सम्यक बना देगा।

संदर्भ

Akin, Cigdem, Carrasco, B., Mundle, S. and Sen Gupta, A. (2017), "Fiscal Responsibility and Budget Management Act in India: A Review and Recommendations for Reform". *ADB South Asia Working Paper Series*. July.

Bornhorst, F., Fedelino, A., Gottschalk, J., and Dobrescu, G. (2011), "When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances".

Technical Notes and Manuals 11/02. Washington DC: International Monetary Fund.

Fedelino, A., Ivanova, A., and Horton, M. A. (2009), "Computing Cyclically Adjusted Balances and Automatic Stabilizers". *Technical Notes and Manuals*. Washington DC: International Monetary Fund.

Ghosh, S., and Misra, S. (2015), "Quantifying the Cyclically Adjusted Fiscal Stance for India". *Macroeconomics and Finance in Emerging Market*, 9(7), 1-17.

Girouard, N., and Andre, C. (2005), "Measuring Cyclically Adjusted Budget Balances for OECD Countries", OECD Economics Department *Working Paper No. 434*.

Government of India. (2017), FRBM Review Committee Report. January.

-----, (2017), Medium-term Expenditure Framework Statement. August.

-----, (2018), Medium Term Fiscal Policy Statement, Union Budget 2018-19. Ministry of Finance, Government of India.

-----, (2018), Press Information Bureau. April 2.

-----, (2018), Press Information Bureau. February 27.

-----, (Various years), Union Budget Documents . Ministry of Finance, Government of India.

International Monetary Fund, (2017), Methodological and Statistical Appendix. *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. October.

Jain, R., and Kumar, P. (2013), "Size of Government Expenditure Multipliers in India: A Structural VAR Analysis". *RBI Working Paper Series*. September 18.

Joshi, V. (2017), "India's Economic Reforms: Reflections on the Unfinished Agenda". *Fifteenth L. K Jha Memorial lecture*. Reserve Bank of India. December 11.

Misra, S., and Trivedi, P. (2016), "Structural Fiscal Balance: An Empirical Investigation for India", *RBI Occasional Papers*, Vol. 35 and 36 - No. 1 and 2: 2014 and 2015.

- Parkyn, O. (2010), "Estimating New Zealand's Structural Budget Balance". *New Zealand Treasury Working Paper* 10/08.
- Reserve Bank of India. (2017), *State Finances: A Study of Budgets 2016-17*.
- , (2018), Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement. February 9.
- , (2018), Monetary Policy Report (MPR). April 5.
- , (2017), Union Budget 2017-18: An Assessment. May 9.
- Sovereign Ratings List. (2018), Retrieved from [countryeconomy.com](https://countryeconomy.com/ratings): <https://countryeconomy.com/ratings>. February 2.
- Turner, D. (2006), "Should Measures of Fiscal Stance be Adjusted for Terms of Trade Effects". Economics Department *Working Paper*, No. 519.

अनुबंध

मुख्य नीतिगत पहल

कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र: बजट भाषण किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर डालता है। बजट में कृषि व सामाजिक क्षेत्र में नई योजनाओं को शुरू करने अथवा मौजूदा योजनाओं का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और ऑपरेशन ग्रीन:** किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत का कम से कम डेढ़ गुना सभी खरीफ फसलों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **सिंचाई:** नाबार्ड द्वारा पहले से स्थापित दीर्घ अवधि सिंचाई निधि के दायरे को बढ़ा दिया गया है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी के अंतर्गत भू-जल सिंचाई योजना सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू की जाएगी जहां 30 प्रतिशत से कम भू-जोत को वर्तमान में सिंचाई प्राप्त होता है। इस उद्देश्य के लिए ₹26 बिलियन राशि आवंटित की गई है।
- **ग्रामीण आजीविका और आवास:** राष्ट्रीय आवास बैंक में वहनीय आवासन निधि की भी स्थापना की जाएगी, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय उधार में हुई कमी से और भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूर्णतः शोधित बॉन्डों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण:** बजट में 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाने के लिए एक फ़्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की गई जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। बजट में उल्लेख किया गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम होगा।
- **शिक्षा:** शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बजट में 13 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण; शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने और धीरे-धीरे "ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड" की दिशा में बढ़ने, नवोदय विद्यालय की तर्ज

पर जनजाति छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें अगले चार वर्षों में ₹1000 बिलियन के कुल निवेश के साथ **राइज** (शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों का पुनरुत्थान) नामक पहल द्वारा अनुसंधान एवं संबंधित अवसंरचना में निवेश की गति में तेजी लाने का प्रस्ताव किया गया है।

आधारभूत संरचना एवं एमएसएमई: आधारभूत संरचना और एमएसएमई से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों में निम्न शामिल हैं:

- **पर्यटन:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटक-सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। एक समग्र दृष्टिकोण का पालन करके दस प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **राजमार्ग:** तैयार सड़क आस्तियों के लिए बाजार से इक्विटी जुटाना के लिए एनएचएआई अपनी सड़क आस्तियों को विशेष प्रयोजनी साधन बनाने और टोल, चलाओ एवं अंतरण (टीओटी) तथा आधारभूत सुविधा निवेश निधियों (इन्वीट्स) जैसे मुद्रीकरण ढांचों का प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है।
- **रेलवे:** वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे कैपेक्स मुख्यतः क्षमता सृजन के लिए ₹1485 बिलियन रखा गया है - 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण, तीसरी एवं चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर का गेज परिवर्तन।
- **विमानन:** वर्ष में एक बिलियन यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता का 5 गुना से अधिक विस्तार करने के लिए नई पहल नभ-निर्माण।
- **सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल इंडिया:** अनुप्रयोगों के अनुसंधान एवं विकास सहित कृत्रिम आसूचना के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को दिशा प्रदान करने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करेगा। 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना करके ₹30.7 बिलियन कर दिया गया है।

दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और संवर्धन के लिए ₹100 बिलियन का प्रावधान किया गया है।

- **मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई):** विमुद्रीकरण और जीएसटी के कारण बढ़ी हुई नियमनिष्ठता का फायदा उठाते हुए एमएसएमई वित्तपोषण में सुधार लाने के लिए वित्तीय सूचना डेटाबेस का फायदा उठाना है। बजट में प्रस्ताव है कि बैंकों और कारपोरेट्स को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसेवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया जाए और इसे जीएसटीएन नेटवर्क से जोड़ा जाए।

संस्थान निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार:

- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और एमएसएमई के द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योग अनुकूल 'रक्षा उत्पादन नीति 2018' लाएगी। रक्षा उद्योग के उत्पादन के लिए दो गलियारे विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- उद्यमों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की योजना बनाना (व्यक्तियों के लिए आधार के तर्ज पर)।
- सभी हितधारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल विकसित करना।
- भारतीय खाद्य निगम के पूंजीगत ढांचे को पुनः तैयार किया जाएगा ताकि इसकी इक्विटी को बढ़ाया जा सके और स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के ऋण लिए जा सकें।
- सुदृढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख को और बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।
- सोने को आस्ति की श्रेणी के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सोना मौद्रिकरण स्कीम को पुनः सुदृढ़ किया जाएगा ताकि लोग गोल्ड डिपॉजिट खाता बिना किसी परेशानी के खोल सकें।

- सरकार मौजूदा दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और एक सुसंगत और समेकित बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति लाएगी।

वित्तीय क्षेत्र:

- **बैंक पुनः पूंजीकरण:** बैंक पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत इस वर्ष ₹800 बिलियन के बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को एक एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेन्स (ईज) कार्यक्रम के दिशानिर्देश के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार योजना के साथ समेकित किया गया है।
- **बॉन्ड मार्केट्स:** सरकार ने घोषणा की है कि सेबी पहले बड़े कारपोरेट्स को अधिदेश देने पर विचार करेगा ताकि उनकी एक चौथाई वित्तीय जरूरतें बॉन्ड बाजारों से पूरी की जा सके। बॉन्ड जारी करने के लिए रेटिंग अपेक्षा 'एए' से 'ए' ग्रेड हो जाएगी। राज्यों से परामर्श करके सरकार वित्तीय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्टम्प ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएगी और भारतीय स्टाम्प अधिनियम में जरूरी संशोधन करेगी। बॉन्ड बाजारों के लिए इन कदमों के संभावित लाभ (सकारात्मक) होंगे।
- **स्थायी जमा सुविधा को सक्षम बनाने के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन:** वित्त विधेयक में आरबीआई अधिनियम की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि स्थायी जमा सुविधा को लागू किया जा सके।
- सरकार भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी।
- सरकार क्रिप्टो-करेंसी को वैध मुद्रा या सिक्का नहीं मानती है तथा वह अवैध गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रूप में इन क्रिप्टो-आस्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगी।




कर प्रस्ताव :

• **दीर्घावधि पूंजी लाभ (एलटीसीजी):** फिलहाल, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख निधि के यूनिटों और व्यवसाय न्यास के यूनिटों के अंतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजी लाभ (एलटीसीजी) को कर से छूट प्राप्त है। बजट में ₹1 लाख से अधिक के ऐसे दीर्घावधि पूंजी लाभों पर बिना किसी सूचकांकन का लाभ दिए 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, 31 जनवरी 2018 तक के सभी लाभों को इससे छूट प्रदान की जाएगी। एक वर्ष तक धारिता इक्विटी शेयर से लाभ अल्पावधिक पूंजी लाभ रहेगा और इस पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। बजट में समस्त वृद्धि उन्मुख निधियों और लाभांश संवितरण निधियों को समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध करने के लिए इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

- **कर दर में कमी:** वर्ष 2016-17 में ₹2.5 बिलियन तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के कर की दर घटा कर उसे 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **'भेक-इन-इंडिया' पहल को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि:** सीमा शुल्क घटाने की हालिया नीति से हटकर बजट में कुछ क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो घटक, जूता-चप्पल और फर्नीचर में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है।
- **उत्पाद शुल्क:** पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले सड़क और अवसंरचना उपकार को ₹6 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹8 प्रति लीटर कर दिया गया है। इन मदों पर लागू मूल उत्पाद शुल्क को इस प्रकार समायोजित (प्रति लीटर ₹2 की कमी करते हुए) किया गया है कि निवल प्रभाव शून्य हो जाए।

अनुबंध II

भारत जैसी समान रेटिंग वाले देशों की सामान्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा और कर्ज



नोट: यहां जीएफडी से तात्पर्य 'समग्र शेष' के ऋणात्मक मान से है, जैसा आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर में परिभाषित किया गया है।

स्रोत: फिस्कल मॉनिटर (आईएमएफ, अक्टूबर 2017) और लेखकों की गणना।

अनुबंध III
उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकार के समग्र शेष

सामान्य सरकार का समग्र शेष (जीडीपी का प्रतिशत)			
क्रम सं.	देश	2016	2017
लैटिन अमेरिका			
1.	अर्जेंटीना	-5.8	-6.6
2.	ब्राज़ील	-9.0	-9.2
3.	चिली	-2.9	-3.1
4.	कोलम्बिया	-3.0	-3.2
5.	मैक्सिको	-2.8	-1.4
6.	उरुग्वे	-4.0	-3.0
7.	वेनेजुएला	-17.8	-18.5
अफ्रीका और मध्य पूर्व			
8.	मिस्र	-10.9	-9.5
9.	सऊदी अरब	-17.2	-8.6
10.	दक्षिण अफ्रीका	-4.0	-4.5
एशिया			
11.	चीन	-3.7	-3.7
12.	भारत*	-7.1	-5.9
13.	इंडोनेशिया	-2.5	-2.7
14.	मलेशिया	-3.0	-3.0
15.	फिलीपींस	-0.4	-1.0
16.	श्रीलंका	-5.4	-5.2
17.	थाईलैंड	0.6	-1.4
यूरोप			
18.	हंगरी	-1.8	-2.6
19.	पोलैंड	-2.4	-2.7
20.	रोमानिया	-2.4	-3.0
21.	रूस	-3.7	-2.1
22.	तुर्की	-2.3	-3.2

*: भारतीय रिजर्व बैंक आंतरिक स्टाफ गणना (2016 के लिए डेटा संशोधित अनुमानों पर आधारित है और 2017 के लिए पर बजट अनुमान पर है क्रमशः 29 राज्यों व केंद्र सरकार पर आधारित है)।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि, राजकोषीय निगरानी, अक्टूबर 2017

अनुबंध IV

कर राजस्व

	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में			वृद्धि (%)		
	2016-17	2017-18 (सं.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17	2017-18 (सं.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
निगम कर	3.2	3.4	3.3	7.0	16.3	10.2
आय पर कर	2.4	2.6	2.8	26.8	21.0	19.9
सीमा शुल्क	1.5	0.8	0.6	7.1	-40.0	-16.8
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2.5	1.7	1.4	32.5	-27.4	-6.3
सेवा कर	1.7	0.5	0.0	20.4	-68.8	-100.0
सकल कर राजस्व	11.2	11.6	12.1	17.9	13.4	16.7

अनुबंध V

बजट एक नजर में

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2016-18 (लेखा)	2017-18 (बजट अनुमान)	2017-18 (संशोधित अनुमान)	2018-19 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (%)	
					कॉलम 2 की तुलना में कॉलम 4	कॉलम 4 की तुलना में कॉलम 5
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	13,742.0	15,157.7	15,054.3	17,257.4	9.5	14.6
	(9.0)	(9.0)	(9.0)	(9.2)		
i) कर राजस्व (केंद्र से निवल)	11,013.7	12,270.1	12,694.5	14,806.5	15.3	16.6
ii) गैर-कर राजस्व	2,728.3	2,887.6	2,359.7	2,450.9	-13.5	3.9
जिसमें से:						
ब्याज प्राप्तियां	162.3	190.2	135.5	151.6	-16.5	11.9
2. पूंजीगत प्राप्तियां	6009.9	6,309.6	7123.2	7164.8	18.5	0.6
	(3.9)	(3.8)	(4.2)	(3.8)		
जिसमें से:						
i) निवल बाजार से उधार	3381.5	3,482.3	4098.6	3991.2	21.2	-2.6
ii) ऋण की वसूली	176.3	119.3	174.7	122.0	-0.9	-30.2
iii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	477.4	725.0	1,000.0	800.0	109.5	-20.0
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	19,751.9	21,467.4	22,177.5	24,422.1	12.3	10.1
	(12.9)	(12.8)	(13.2)	(13.0)		
4. राजस्व व्यय	16,905.8	18,369.3	19,443.1	21,417.7	15.0	10.2
	(11.1)	(10.9)	(11.6)	(11.4)		
5. पूंजीगत व्यय	2,846.1	3,098.0	2,734.5	3,004.4	-3.9	9.9
	(1.9)	(1.8)	(1.6)	(1.6)		
8. कुल व्यय (6+7)	19,751.9	21,467.4	22,177.5	24,422.1	12.3	10.1
	(12.9)	(12.8)	(13.2)	(13.0)		
जिसमें से						
i) ब्याज भुगतान	4,807.1	5,230.8	5,308.4	5,758.0	10.4	8.5
ii) रक्षा	2,517.8	2,623.9	2,671.1	2,827.3	6.1	5.8
iii) प्रमुख सब्सिडी	2,040.2	2,403.4	2,297.2	2,643.4	12.6	15.1
9. राजस्व घाटे (4-1)	3,163.8	3,211.6	4,388.8	4,160.3	38.7	-5.2
	(2.1)	(1.9)	(2.6)	(2.2)		
10. प्रभावी राजस्व घाटा	1,506.5	1,258.1	2,496.3	2,206.9	65.7	-11.6
	(1.0)	(0.7)	(1.5)	(1.2)		
11. सकल वित्तीय घाटा (8-(1+2ii+2iii))	5,356.2	5,465.3	5,948.5	6,242.8	11.1	4.9
	(3.5)	(3.2)	(3.5)	(3.3)		
12. सकल प्राथमिक घाटे (11-6i)	549.0	234.5	640.1	484.8	16.6	-24.3
	(0.4)	(0.1)	(0.4)	(0.3)		

टिप्पणियां: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं